न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी –डॉ0सूरज सिंह नेगी

निगरानी संख्या 46/2021 तारीख रजू 26.07.2021

1. लक्ष्मी देवी पत्नी घनश्याम जाति मीना निवासी ग्राम खिरनी तहसील मलारनाडूंगर
2. बत्तीलाल पुत्र कल्याण जाति मीना निवासी ग्राम खिरनी तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर

..........निगरानीकर्त्ता

बनाम

1. धूडीलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति गुर्जर निवासी खिरनी तहसील मलारना डूंगर
2. ग्राम पंचायत खिरनी जरिये सरपंच तहसील मलारना डूंगर

..........अप्रार्थीगण

उपस्थित – वकील निगरानीकर्त्ता श्री रमेश चन्द गोयल एडवोकेट
वकील अप्रार्थी श्री गिर्राज सिंह गुर्जर एडवाकेट

निर्णय दिनांक 30/9/22

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत खिरनी द्वारा पारित आदेश पटटा मिसल नं0 116/98 दिनांक 15.09.98 जो दिनांक 25.09.1998 को जारी किया गया, के विरूद्व प्रस्तुत की गयी जिसमें संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम पंचायत खिरनी ने ग्राम पंचायत नियमों का पालन किये बिना मनमर्जी से पटटा जारी किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि ग्राम पंचायत को सिर्फ 300 वर्गगज का प्लाट ही नियमन करने एवं पटटा देने का ही अधिकार है लेकिन उक्त प्रकरण में अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी को 1244 वर्गगज का पटटा जारी कर दिया गया है। यह कि अदालत मातहत ने अप्रार्थी को 1244 वर्गगज का बडा प्लाट एवं इसके भाई हरिनारायण को भी 1244 वर्ग गज का प्लाट नियमन कर एक दिन ही दो पटटे एक ही परिवार वालो को जारी कर दिये हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत को एक ही परिवार के लोगो को लाभ पहुंचाने व ग्राम पचांयत को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का क्षेत्राधिकार नहीं होने तथा एक ही पत्रावली से दो पटटे जारी किये जाने के कारण उक्त पटटा निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अधीनस्थ न्याायालय के आलोच्य निर्णय दिनांक 15.09.98 की पालना में जारी पट्टा दिनांक 25.09.1998 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को तलवी जरिये नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील निगरानीकर्ता [illegible] की ओर ध्यान आकर्षित कर दौराने बहस तर्क दिया कि ग्राम पंचायत खिरनी ने [illegible] नियमों का पालन किये बिना मनमर्जी से पटटा जारी किया है जो [illegible] किये जाने [illegible] है। यह कि ग्राम पंचायत को सिर्फ 300 वर्गगज का प्लाट ही नियमन करने एवं पटटा देने का ही अधिकार [illegible] उक्त प्रकरण में अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर ग्राम पंचा[illegible] द्वारा विपक्षी को 124[illegible]गज का पटटा जारी कर दिया गया है। यह कि अदालत मातहत ने अप्रार्थी को 1244 वर्गगज का बडा प्लाट एवं इसके भाई धूलीलाल को भी 1244 वर्ग गज का प्लाट नियमन कर एक दिन ही दो पटटे एक ही परिवार वालो को जारी कर दिये हैं। इस प्रकार वकील निगरानीकर्ता ने अंत में ग्राम पंचायत को

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 14:55:15 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

एक ही परिवार के लोगो को लाभ पहुंचाने व ग्राम पचांयत को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का क्षेत्राधिकार नहीं होने तथा एक ही पत्रावली से दो पटटे जारी किये जाने के कारण उक्त पटटा मिसल नं0 116/98 दिनांक 15.09.98 को निरस्त हेतु निवेदन किया गया।

वकील गैर निगरानीकर्ता द्वारा बहस में वकील निगरानीकर्त्ता के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का खंडन करते हुए तर्क दिया गया कि उनके पक्षकार को ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत तरीके का पालन करते हुए निर्धारित शुल्क जमा करवाकर ही पटटा जारी किया गया है जो कि पूर्णतयाः वैध है। साथ ही यह भी तर्क दिया कि प्रस्तुत निगरानी में निगरानीकर्ता द्वारा उक्त पटटो की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की है एवं ग्राम पंचायत द्वारा मूल पत्रावली उपलब्ध नहीं होना बतलाया है। अंत में वकील गैर निगरानीकर्ता द्वारा तथ्यहीन एवं बिना मूल दस्तावेजो के प्रस्तुत की गई निगरानी को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं मनन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी में पंचायत द्वारा अवैध रूप से अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर विपक्षी को 1244 वर्ग गज का निःशुल्क पटटा जारी करने के संबंध में तथ्य प्रस्तुत किये गये है परंतु इस संबंध में ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत खिरनी द्वारा उनके पत्रांक 40 दिनांक 25.08.2021 से अवगत कराया है कि उक्त प्रकरण की मिसल संख्या 116/98 एवं पट्टा संख्या 62/98–99, 63/98–99 निर्णय दिनांक 25.09.1998 की पत्रावली मय पटटे रिकार्ड ग्राम पंचायत में काफी तलाश की गई लेकिन उक्त मिसल का कोई रिकार्ड प्राप्त नहीं हुआ है जिसके कारण उक्त प्रकरण में मिसल सं0 116/98 व पटटे सं0 62/98–99, 63/98–99 के दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ है। साथ ही ग्राम विकास अधिकारी ने यह भी अवगत कराया है कि पूर्व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा उनको पटटा संबंधी कोई भी पत्रावलियां चार्ज में नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में मूल पट्टे एवं ग्राम पंचायत की पत्रावली की तलबी के बिना निर्णय किया जाना संभव नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को आगे चलाया जाना उचित नहीं समझता हूं।

अतः निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है तथा विकास अधिकारी पंचायत समिति मलारनाडूंगर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में विवादित स्थल/पटटे के संबंध में पुनः नये सिरे से जांच की जावे तथा यदि उक्त विवादित स्थल का अप्रार्थी को अवैधानिक तरीके से पटटा जारी किया जाना पाया जाता है तो इस संबंध में इस न्यायालय में सम्पूर्ण तथ्यों के साथ निगरानी प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। विकास अधिकारी को यह भी हिदायत दी जाती है कि तत्समय के मूल रिकार्ड की गहनता से तलाश करें और यदि फिर भी मूल रिकार्ड उपलब्ध नहीं होता है तो मूल रिकार्ड को खुर्द–बुर्द करने में किसी कार्मिक का दोष स्पष्ट होता है तो दोषी कार्मिकों के विरुद्ध अपने स्तर पर कार्रवाई करें।

निर्णय आज दिनांक 30/9/22 को लिखाकर जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:55:15 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर